

**अनुदान संख्या 81- विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग**  
**GRANT No. 81-DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**

	कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)			
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>		
प्रभारित-	<i>Charged-</i>	2,00	83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>		-1,17
स्वीकृत-	<b>Voted-</b>		शून्य Nil
मूल	Original 1713,38,00	1713,39,00	1442,32,63
पूरक	Supplementary 1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>		-271,06,37
			265,95,00
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>		
स्वीकृत-	<b>Voted-</b>		
मूल	Original 73,90,00	75,85,00	72,59,10
पूरक	Supplementary 1,95,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>		-3,25,90
			शून्य Nil

**टीका और टिप्पणियां**

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

**Notes and comments**

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-	
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)	
मुख्य शीर्ष "3425"	Major Head "3425"				
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research				
मू.	O.	168538.00			
पू.	S.	1.00	141919.00	141489.64	-429.36
पु.	R.	-26620.00			

(I) 24500.00 लाख रु. का प्रावधान "अन्य - अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पांच मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) "उत्प्रेरित अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक खोज की दिशा में अभिनव परिवर्तन" - 1000.00 लाख रु.;

(खा) "सुरक्षा प्रौद्योगिकी का सूत्रपात" - 1000.00 लाख रु.;

(गा) "आधारभूत अनुसंधान के लिए वृहत सुविधाएं" - 2500.00 लाख रु.;

(घा) "विज्ञान तथा इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड" - 10000.00 लाख रु.; और

(ङ) "उच्च शिक्षा में विज्ञान के लिए छात्रावृत्तियां" - 10000.00 लाख रु.।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान व्यय वित्त समितियों/राज्य वित्तीय समितियों और विधायी विभाग द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "भारतीय सर्वेक्षण" -

(I) Provision of Rs.24500.00 lakhs remained wholly unutilised in five cases under "Others - Assistance to Other Scientific Bodies" - under the following heads:-

(A) "Innovations in Science Pursuit for Inspired Research (INSPIRE)" - Rs.1000.00 lakhs;

(B) "Security Technology Initiative" - Rs.1000.00 lakhs;

(C) "Mega Facilities for Basic Research" - Rs.2500.00 lakhs;

(D) "Science and Engineering Research Board" - Rs.10000.00 lakhs; and

(E) "Scholarships for Science in Higher Education" - Rs.10000.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilised due to non-approval of the scheme by Expenditure Finance Committees/State Finance Committees and Department of Legislature.

(II) Savings occurred under the following heads:-

(A) "Survey of India" -

(क) “स्थलाकृतिक सर्वेक्षण - सर्वेक्षण दल” - 329.59 लाख रु. की बचत (8258.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) “मानचित्रों, चार्टों प्रतिवेदनों आदि का प्रकाशन - मानचित्रा प्रकाशन कार्यालय” - 166.28 लाख रु. की बचत (2809.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें सादगी के उपाय किए जाने, स्थानांतरणों/दौरों पर कम व्यय किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(ग) “अन्य व्यय - अन्य स्कीमें” - 150.54 लाख रु. की बचत (2800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और प्रचालनात्मक एवं प्रक्रियात्मक कठिनाइयों की वजह से कुछ खरीदों के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(खा) “अन्य” -

(क) “राष्ट्रीय मानचित्रावली एवं विषयवस्तुनिष्ठ मानचित्राण संगठन - राष्ट्रीय मानचित्रावली और विषयवस्तुनिष्ठ मानचित्राण संगठन” - 373.94 लाख रु. की बचत (1415.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा निरीक्षण का अनुपालन न किए जाने की वजह से उपस्करों की अधिप्राप्ति में तकनीकी कठिनाइयां आने के कारण हुई।

(ख) “अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता” -

(i) “वैज्ञानिक स्वायत्तशासी संस्थाओं/व्यावसायिक निकायों को सहायता” - 2013.15 लाख रु. की बचत (मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 44586.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती लागू किए जाने और पिछले वर्ष का अव्ययित

(a) “Topographical Surveys – Survey Parties” – saving of Rs.329.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8258.00 lakhs); and

(b) “Publication of Maps, Charts Reports etc. - Map Publication Offices” - saving of Rs.166.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2809.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to austerity measures, less expenditure on transfers/tours and cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage.

(c) “Other Expenditure –Other Schemes” - saving of Rs.150.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2800.00 lakhs) was due to non-filling of vacant posts and non-materialisation of certain purchases owing to operational and procedural difficulties.

(B) “Others” -

(a) “National Atlas and Thematic Mapping Organisation (NATMO) - National Atlas and Thematic Mapping Organisation” - saving of Rs.373.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1415.00 lakhs) was due to technical difficulties in procurement of equipments owing to non-compliance of inspection by the Directorate General of Supplies and Disposals.

(b) “Assistance to Other Scientific Bodies” -

(i) “Assistance to Scientific Autonomous Institutions/Professional Bodies” - saving of Rs.2013.15 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.44586.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in March, 2008) was due to non-approval of the scheme by the Expenditure Finance Committee, cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage and availability of unspent balance of previous year.

शेष उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(ii) “प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम” - 687.65 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(iii) “नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय मिशन” - 2873.00 लाख रु. की बचत (15000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम उपयुक्त परियोजनाएं प्राप्त होने के कारण हुईं।

(iv) “जल प्रौद्योगिकी का सूत्रापात” - 398.47 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(v) “नवीनीकरण समूह” - 340.00 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें व्यय वित्त समितियों/राज्य वित्त समितियों और विधायी विभाग द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुईं।

(ग) “अन्य स्कीमें” --

(i) “अनुसंधान तथा विकास उपकर के अधीन प्राप्तियों के अंतर्गत अदायगी” - 180.00 लाख रु. की बचत (2080.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(ii) “सूचना प्रौद्योगिकी लागू किया जाना” - 240.12 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वैज्ञानिक ई-जर्नलों की अधिप्राप्ति में विलंब होने के कारण हुई।

(घ) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग” -

(i) “उन्नत अनुसंधान के संवर्धन के लिए भारत-फ्रांसीसी केंद्र” - 150.00 लाख रु. की बचत (1000.00

(ii) “Technology Development Programme” - saving of Rs.687.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs); and

(iii) “National Mission on Nano Science and Nano Technology” - saving of Rs.2873.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.15000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less suitable projects.

(iv) “Water Technology Initiative” – saving of Rs.398.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs); and

(v) “Innovation Clusters” - saving of Rs.340.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-approval of the scheme by Expenditure Finance Committees/State Finance Committees and Department of Legislature.

(c) “Other Schemes” -

(i) “Payment against receipts under Research and Development Cess” – saving of Rs.180.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2080.00 lakhs) was due to cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage.

(ii) “Implementation of Information Technology” – saving of Rs.240.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to delay in procurement of scientific e-journals.

(d) “International Co-operation” -

(i) “Indo French Centre for the Promotion of Advanced Research (IFCPAR)” – saving of Rs.150.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to fluctuation in forex rates.

- लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) फोरक्स की दरों में घट-बढ़ होने के कारण हुई।
- (ii) “भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रमों के बीच विकास सहयोग” - 245.81 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना के जल्दी पूरा होने के कारण हुई।
- (III) एक शीर्ष के अंतर्गत 55.24 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत थी।
2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (5704.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि “अन्य” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2008 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-
- (का) “अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता” -
- (क) “सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को सहायता अनुदान” - 200.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 212.65 लाख रु. था।
- (ख) “मिशन मोड में प्रौद्योगिकी परियोजनाएं” - 2000.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1999.89 लाख रु. था।
- (ग) “अनुसंधान तथा विकास सहायता” - 2487.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2483.10 लाख रु. था।
- (खा) “अन्य स्कीमें - भारत सरकार के साथ कार्यरत वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम” - 200.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 199.67 लाख रु. था।
- (गा) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अन्य देशों के साथ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सहयोग” - 817.00 लाख रु.। तथापि,
- (ii) “Development Co-operation between India and United Nations Development Programmes” - saving of Rs.245.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to early completion of the project.
- (III) Under one head saving of Rs.55.24 lakhs occurred constituting 14 percent of the sanctioned provision.
2. The above savings were partly (Rs.5704.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2008 and vide Annexure to the Supplementary Demands for Grants under “Others” - under the following heads:-
- (A) “Assistance to Other Scientific Bodies” -
- (a) “Grants-in-aid for Science and Technology Programmes for Socio Economic Development” - Rs.200.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.212.65 lakhs.
- (b) “Technology Projects in Mission Mode” - Rs.2000.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1999.89 lakhs.
- (c) “Research and Development Support” - Rs.2487.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2483.10 lakhs.
- (B) “Other Schemes - National Training Programme for Scientists/Technologists working with the Government of India” - Rs.200.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.199.67 lakhs.
- (C) “International Co-operation - Science and Technology Cooperation with other Countries” - Rs.817.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.821.60 lakhs.
3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.325.90 lakhs) exceeded the

वास्तविक अधिक व्यय 821.60 लाख रु. था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (325.90 लाख रु.) मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 195.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत

supplementary grant of Rs.195.00 lakhs obtained in March, 2008 and constituted 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head
मुख्य शीर्ष "5425"	Major Head "5425"
अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी	Capital Outlay on Other
अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	Scientific and Environmental Research

मू.	O.	1390.00	1585.00	1314.10	-270.90
पू.	S.	195.00			

प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

(I) Provision of Rs.20.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

(I) 20.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) "भारतीय सर्वेक्षण - भवन" के अंतर्गत 1230.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 195.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1425.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 231.31 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) प्रशासनिक कारणों से भवन परियोजनाओं के कार्यकलापों की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(II) Under "Survey of India -Building"- the original provision of Rs.1230.00 lakhs was augmented to Rs.1425.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.195.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.231.31 lakhs (including supplementary grant) - due to slow progress of activities of building projects owing to administrative reasons.